कार्यालयः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी

पत्रांक– 2569 / 33–1 / दिनांक, मार्च, 21 ,2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाईड्रिल कालौन सिविल लाईन, झांसी द्वारा 33/11 के0वी0एम0ई0एस0 बबीना 220 के0वी0 उप केन्द्र से 33 के0वी0 की नई विद्युत (डबल लाईन) के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में झांसी–ललितपुर मार्ग की 0.0555 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बबीना पन्ती व सेंधनी आरक्षित वन ब्लाकों की 2.448 हे0 आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्यों के प्रयोग हेतु एवं प्रभावित 61 वृक्षों की शाख तरासी के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Trans/144301/2021।

संदर्भ– 1. भारत सरकार का पत्रांक– 8B/UP/04/63/2022/FC/900, दिनांक– 13.02.2023
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक– 3606/15–1, दिनांक– 18.03.2023

महोदय,

भारत सरकार के उपरेक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 18.03.2023 द्वारा, उक्त लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की है।

अतः प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का
पत्रांक– 3606/15–1, दिनांक– 18.03.2023

भवदीय,

ह0 वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या– / समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 3606 /15—1 दिनांक, झांसी, मार्च 18, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी ।

विषयः— जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाइड्रिल कालौनी सिविल लाइन, झांसी द्वारा 33/11 के0वी0एम0ई0एस0 बबीना 220 के0वी0 उपकेन्द्र से 33 के0वी0 की नई विद्युत (डबल लाइन) के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में झांसी—ललितपुर मार्ग की 0.0555 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बबीना पन्ती व सेंधनी आरक्षित वन ब्लाकों की 2.448 हे0 आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु एवं प्रभावित 61 वृक्षों की शाख तरासी के सम्बन्ध में ।

संदर्भः— भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/04/63/2022/FC/900, दिनांक 13.02.2023 प्रस्ताव सं0 FP/UP/Trans/144301/2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में भारत सरकार द्वारा 01 बिन्दु की आपत्ति दर्शायी गयी। उक्त आपत्ति का निराकरण कर संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित कि आपत्ति का निराकरण संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :—

क0सं0	आपत्तियॉ	निराकरण
1	Site inspection report of the committee which declared it is a failare plantation as was needs to bo submitted.	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 6.10 हे0 वन क्षेत्र ठकुरपुरा की आरक्षित वनभूमि है। उक्त वन खण्ड का कुल क्षेत्रफल 6.10 हे0 ही है। उक्त वन क्षेत्र में पूर्व में वृक्षारोपण कार्य कराया गया था। किसी भी समिति द्वारा वृक्षारोपण को असफल घोषित किये जाने सम्बन्धी वर्तमान में कोई अभिलेख कार्यालय में नहीं है। वर्तमान स्थिति के अनुसार मौके पर रिक्त क्षेत्र है जहॉ पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत वृक्षारोपण कराया जा सकता है।

भवदीय

(एम0पी0 गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी महोदय, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम0पी0 गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी